[illegible]

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2012

1. [illegible] का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अनुभा श्रीवास्तव 2. वर्तमान धारित पद प्राध्यापक

3. वर्तमान वेतन .... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ....

जिले, उप संभाग, तालुका एवं ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
[illegible] निर्माण समिति बी-सेक्टर कोलार रोड, जिला-भोपाल	[illegible] भवन में फ्लैट नम्बर 302 [illegible] अपार्टमेंट कोलार रोड, भोपाल	Nil	लगभग रु. 6.0 लाख	स्वयं	[illegible] मार्च, 1995 में शासकीय ऋण से क्रय किया गया।	शून्य	—

---

* जो लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम [illegible]

हस्ताक्षर ....

नाम (अनुभा श्रीवास्तव)

पद प्राध्यापक

[illegible] प्रशासन एवं विकास